संख्या-80/2021/1024/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरख□र।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 23 जून,2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्र्तगत □नरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उ□र्युक्त विषय □र मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-76/2021/817/35-4-2021 दिनांक 25 मार्च, 2021 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जन□द देवरिया/गोरख□र/कुशीनगर में 09 कार्यों की रू0 2240.53 लाख की लागत □र प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रू□ में रू0 1120.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 09 कार्यो में से जन□द गोरख□र के 01 कार्य यथा-**विकास खण्ड चरगावां में ग्राम सोनबरसा बाला□ार रोड रेलवे क्रासिंग के □ास □ुलिया से चिलुआताल पर आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य** की अनुमोदित लागत रू0 631.96 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 315.98 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र दिनांक 13 मई,2021 द्वारा **विकास खण्ड चरगावां में ग्राम सोनबरसा बालापार रोड रेलवे क्रासिंग के पास पुलियासे चिलुआताल पर आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य** का पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया। एतद्द्वारा उक्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू0 797.95 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों की अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संदर्भित शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2021 की शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-76/2021/817/35-4-2021 दिनांक 25 मार्च, 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
3. परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत विद्युत पोल एवं वन विभाग (पेड़ की कटाई एवं रोपाई) की शिफ्टिंगआदि का विस्तृत आगणन प्रशासकीय विभागों से प्राप्त कर भुगतान वास्तविकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर जायेगा तथा इन आगणनों पर क्रियान्वयन से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
5. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
6. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए अनुमोदित किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्र0वि0 की होगी।
10. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

12. प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।
13. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमादित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
14. जिलाधिकारी द्वारा यथा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
15. वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त आय-व्ययक-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रसतर-2(9)(क) के अनुसार प्रशासकीय विभाग/जिलाधिकारी इस बात का ध्यान रखेगें कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो एवं प्रस्तर-2(9)(झ) के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/ राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-5-01/दस-2021 दिनांक 22 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:-80/2021/1024/35-4-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।